संख्या 1251/आठ–1–26–2090220

प्रेषक,

पी0 गुरू प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2026

विषयः लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के अनुरक्षण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 16.01.2024, निविदा प्रकिया की पारदर्शिता हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.05.2026, बिटुमिन दरों की वृद्धि के समायोजन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 06.05.2026 एवं दिनांक 06.08.2026 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत आने वाले अभिकरणों में लागू किये जाने हेतु उन्हें अंगीकृत किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत निम्नलिखित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:–

क0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	विषयवस्तु
1	17/2024/सा0–113/23–1–2024–23–1–2024–23–1099/113/2023, दिनांक 16 जनवरी, 2024	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण लागत, नवीनीकरण चक्र एवं डिफेक्ट लॉयबिलिटी पीरियड का प्राविधान करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।
2	86/2026/649/2026/23–7099/106/2025, दिनांक 23 मई, 2026	लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु निविदाओं के निस्तारण की प्रकिया के निर्धारण के संबंध में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी का प्राविधान करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।
3	69/2026/544/23–7099/39/2026, दिनांक 06 मइ, 2026	पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के समायोजन का प्राविधान करते हुए प्रकिया का निर्धारण किया गया है।
4	156/2026/आई/1424054/2026/23–7099/59/2026, दिनांक 06 अगस्त, 2026	पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के समायोजन विषयक शासनादेश दिनांक 06 मई, 2026 को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी है।

2– सम्यक् विचारोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत आने वाले अभिकरणों के स्वामित्वाधीन मार्गों के अनुरक्षण, निविदा प्रकिया की पारदर्शिता एवं शुचिता तथा बिटुमिन दरों में अत्याधिक वृद्धि को समायोजित किये जाने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेशों को अंगीकृत करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। बिटुमिन दरों में वृद्धि को समायोजित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 06 मई, 2026 व दिनांक 06 अगस्त, 2026 के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत आने वाले अभिकरणों में स्वतः प्रभावी होंगे।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त से अवगत होते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
(पी0 गुरू प्रसाद)
Date: 21-09-2026 20:27:10
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

Digitally signed by RAJESH KUMAR RAI

(राजेश कुमार राय)

विशेष सचिव।

संख्या-156/2026/आई/1424054/2026/23-7099/59/2026

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांक: 06 अगस्त, 2026**

विषय- पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1238नि0/कैबिनेट-नोट/2026,दिनांक 30.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-69/2026/544/23-7099/39/2026, दिनांक: 06 मई, 2026 द्वारा लागू की गयी व्यवस्था को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक प्रभावी बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के आलोक में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये गये कार्यों का मूल्य समायोजन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-69/2026/544/23-7099/39/2026, दिनांक: 06 मई, 2026 द्वारा विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-NH-24028/03/2026-H, दिनांक 29.07.2026 द्वारा बिटुमिन की दरों में समायोजन की व्यवस्था को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक बढ़ाये जाने का प्राविधान किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण शासनादेश दिनांक 06.05.2026 द्वारा प्राविधानित मूल्य समायोजन संबंधी व्यवस्था को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ।
13- समस्त अनुभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आशुतोष कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-69/2026/544/23-7099/39/2026

प्रेषक,

अजय चौहान,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक: 06 मई, 2026

विषय- पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-47नि0/कैबिनेट-नोट/2026-27,दिनांक 20.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन किये जाने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(अ) ऐसे अनुबन्ध, जिनमें मूल्य वृद्धि का प्राविधान नहीं है, में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

(क) रू. 5.00 करोड़ से कम लागत के ऐसे अनुबन्ध, जो बिडिंग डाक्यूमेंट टी.-1 एवं टी.-2 पर गठित हैं-

(1) यह मूल्य समायोजन उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनकी निविदा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व आमंत्रित की गई हो।

(2) गठित अनुबन्धों में 01 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये गये कार्य की सी.आर.सी. खण्डीय कार्यालय में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुत की गयी सी.आर.सी. में ठेकेदार/फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

(3) खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत सी.आर.सी. का ऑनलाइन या भौतिक सत्यापन बिटुमिन निर्गत करने वाली कम्पनी यथा-इण्डियन ऑयल कारपोरेशन या अन्य सम्बन्धित कम्पनी से किया जायेगा।

1· यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2· इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) बिटुमिन की प्रयोग की गयी मात्रा का आंकलन माप पुस्तिका, जॉब मिक्स एवं साइट पर सम्पादित कार्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) मूल्य समायोजन का सूत्र

$V=Q(W_f - W_o)$

जहाँ:

V= बिटुमिनस कार्य के भुगतान के लिये लागत में किया गया समायोजन

Q= वास्तविक प्रयुक्त बिटुमिन की मात्रा (MT में) (अनुमोदित जॉब मिक्स के अनुसार)

W_f= कार्य अवधि के दौरान (इनवॉइस अनुसार) निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

W_o= 01.03.2026 को निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

(ख) एस.बी.डी. के आधार पर प्राप्त होने वाली रू. 5.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदायें-

(1) यह मूल्य समायोजन उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनकी निविदा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व आमंत्रित की गई हो।

(2) जिन अनुबन्धों में निर्माण अवधि 18 माह से अधिक होने के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि का प्राविधान पूर्व से है, उनमें किसी अतिरिक्त प्राविधान की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) गठित अनुबन्धों में 01 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये गये कार्य की सी.आर.सी.खण्डीय कार्यालय में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुत की गयी सी.आर.सी. में ठेकेदार/फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

(4) खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत सी.आर.सी. का ऑनलाइन या भौतिक सत्यापन बिटुमिन निर्गत करने वाली कम्पनी यथा-इण्डियन ऑयल कारपोरेशन या अन्य सम्बन्धित कम्पनी से किया जायेगा।

(5) बिटुमिन की प्रयोग की गयी मात्रा का आंकलन माप पुस्तिका, जॉब मिक्स एवं साइट पर सम्पादित कार्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) मूल्य समायोजन का सूत्र

$V=Q(W_f - W_o)$

जहाँ:

V= बिटुमिनस कार्य के भुगतान के लिये लागत में किया गया समायोजन

Q= वास्तविक प्रयुक्त बिटुमिन की मात्रा (MT में) (अनुमोदित जॉब मिक्स के अनुसार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

W_t= कार्य अवधि के दौरान (इनवॉइस अनुसार) निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

W_0= 01.03.2026 को निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

(ग) बिटुमिन के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद के लिये मूल्य समायोजन नहीं किया जायेगा।

(ब) बिटुमिन की दरों में हुयी मूल्य वृद्धि हेतु मूल्य समायोजन के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में कोई अग्रतर आदेश/दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है तो मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-69/2026/544(1)/23-7099/39/2026,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ।
13- समस्त अनुभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आशुतोष कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-86/2026/649/2026/23-7099/106/2025

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक :23 मई, 2026

विषय- लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु निविदाओं के निस्तारण की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4984नि0/निविदा/25-26, दिनांक 11.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु निविदाओं के निस्तारण की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु दोनों बिडिंग डाक्यूमेन्ट्स के माध्यम से प्राप्त होने वाली निविदाओं में निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(अ) एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त होने वाली रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदायें:-

1- कम लागत के आधार पर निविदाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी निविदादाताओं से जमा कराई जायेगी:-

क्र0 सं0	डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।	न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी
1	10 प्रतिशत तक बिलो (Below)	शून्य
2	10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 15 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 50 प्रतिशत
3	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 100 प्रतिशत
4	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 150 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- 15 प्रतिशत से अधिक कम दरों के निविदादाताओं के चयन से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदारों के निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों की नियमानुसार गुणवत्ता की जाँच कराकर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

लोक निर्माण विभाग के निर्मित/निर्माणाधीन कार्य-

(क) लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक ऐसे कार्य जिनकी निविदा में किसी निविदादाता द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक कम निविदा डाली जाती है तो उस निविदादाता के लोक निर्माण विभाग में सबसे अधिक कम दरों पर गठित दो अनुबंधों का चयन कर, कार्यों की जाँच कराई जाएगी।

(ख) कार्यों की गुणवत्ता की चेकिंग सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं मुख्यालय से नामित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

(ग) खराब गुणवत्ता का कार्य प्राप्त होने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये, दो वर्ष के लिये डिबार किया जायेगा।

(घ) उपरोक्त बिन्दु (ग) के अनुसार ठेकेदार को डिबार किये जाने की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

अन्य विभागों के निर्माणाधीन कार्य-

(क) यदि निविदा डालने वाले ठेकेदार के लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में कार्य चल रहे हों, तो निविदादाता द्वारा इसकी सूचना तथा अद्यतन बिड कैपेसिटी निविदा डालने के समय अपलोड करेंगे। यह सूचना अन्तिम मानी जाएगी एवं इसमें परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य विभाग में रू. 5 करोड़ से अधिक लागत का कोई कार्य निर्माणाधीन है या तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व पूर्ण हुआ हो, तो निविदादाता को सम्बन्धित विभाग के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि भविष्य में पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा अन्य विभाग के रू. 5 करोड़ से अधिक लागत के निर्माणाधीन कार्य या दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किये गये कार्य को विभाग से छुपाया गया है, तो ठेकेदार को दो वर्ष के लिए डिबार करते हुए अनुबन्ध का निरस्तीकरण कर सामान्य एवं अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

(घ) ऐसे निविदादाता, जिनका प्रदेश के किसी भी विभाग में रू0 5 करोड़ से अधिक लागत का कोई निर्माणाधीन कार्य नहीं चल रहा है एवं तकनीकी बिड खुलने की तिथि से दो वर्ष पूर्व तक कोई कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनके द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर निविदा डाले जाने की स्थिति में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जानी आवश्यक होगी, क्योंकि उनके द्वारा कम दरों पर किये गए कार्यों का आंकलन लोक निर्माण विभाग या प्रदेश के किसी अन्य विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा।

15 प्रतिशत से कम दरों पर ऐसे निविदादाता द्वारा जिनका प्रदेश में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है एवं तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व कोई निर्माण कार्य पूर्ण न किया गया हो, हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी-

क्र0 सं0	डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।	न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी
1	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 120 प्रतिशत
2	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 170 प्रतिशत

(च) अन्य विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों की कार्य समाप्ति की तिथि व्यतीत हो जाने एवं समयवृद्धि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न होने की स्थिति में अथवा समयवृद्धि आर्थिक दण्ड सहित स्वीकृति होने की स्थिति में निविदादाता को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

(छ) अन्य विभागों के निर्माणाधीन कार्यों को छिपाने की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में स्थानीय निविदा समिति सम्बन्धित ठेकेदार को ई-मेल भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करेगी। सम्बन्धित ठेकेदार को स्थिति स्पष्ट करने के लिये 48 घण्टे का समय दिया जायेगा। यदि वास्तव में कार्य छिपाया गया है तो बिड को नॉन-रिस्पान्सिव घोषित कर दिया जायेगा।

3- प्राप्त निविदाओं का निस्तारण:-

(क) 15 प्रतिशत से कम दरों पर प्राप्त निविदादाताओं में एन0आई0सी0 के पोर्टल से प्राप्त सबसे कम दर वाले निविदादाता को न्यूनतम निविदादाता घोषित किया जाएगा।

(ख) यदि दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें एक समान प्राप्त होती हैं, तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी-

एक समान दरों के निविदादाताओं के नाम प्रहरी एप्लीकेशन के रैण्डमाइजेशन एप में लोड कर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रथम न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाएगा।

(ब) टी0-1 एवं टी0-2 के आधार पर प्राप्त होने वाली रू0 5.00 करोड़ से कम लागत की निविदायें:-

1- कम लागत के आधार पर निविदाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी निविदादाओं से जमा कराई जायेगी:-

क्र0 सं0	डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।	न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	10 प्रतिशत तक बिलो (Below)	शून्य
2	10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 15 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 50 प्रतिशत
3	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 100 प्रतिशत
4	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 150 प्रतिशत

2- 15 प्रतिशत से अधिक कम दरों के निविदादाताओं के चयन से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदारों के लोक निर्माण विभाग में निर्माणाधीन कार्यों की नियमानुसार गुणवत्ता की जांच कराकर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

<u>लोक निर्माण विभाग के निर्मित/निर्माणाधीन कार्य-</u>

(क) लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक ऐसे कार्य जिनकी निविदा में किसी निविदादाता द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक कम निविदा डाली जाती है, तो उस निविदादाता के एक कार्य का चयन वरीयता के आधार पर उसी मण्डल से किया जाएगा, जहां निविदा डाली गई हो एवं सबसे अधिक कम दर पर गठित अनुबंध के कार्य की जांच कराई जाएगी। यदि उस मण्डल में कोई निर्माणाधीन कार्य न हो, तो अन्य मण्डल से सबसे अधिक कम दर पर गठित अनुबंध का चयन कर जांच कराई जाएगी।

(ख) कार्य की गुणवत्ता की जांच सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित अन्य वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

(ग) खराब गुणवत्ता का कार्य प्राप्त होने पर निविदादाता को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये दो वर्ष के लिये डिबार किया जायेगा एवं उस निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

(घ) तकनीकी मूल्यांकन में निविदादाताओं द्वारा अन्य विभागों में किये गये कार्यों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा एवं बिड कैपेसिटी का मूल्यांकन प्रहरी सॉफटवेयर द्वारा स्वयं किया जाएगा। अन्य विभागों के कार्यों की गुणवत्ता, अपूर्ण कार्य या कार्य छिपाये जाने से सम्बन्धित किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ड.) स्थानीय निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा। प्रकरण प्रहरी समिति, लखनऊ को प्रेषित नहीं किया जाएगा।

3- प्राप्त निविदाओं का निस्तारण:-

i.15 प्रतिशत से कम दरों पर प्राप्त निविदादाताओं में एन0आई0सी0 के पोर्टल से प्राप्त सबसे कम दर वाले निविदादाता को न्यूनतम निविदादाता घोषित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii.यदि दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें एक समान प्राप्त होती हैं, तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

एक समान दरों के निविदादाताओं के नाम प्रहरी एप्लीकेशन के रैण्डमाइजेशन एप में लोड कर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रथम न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाएगा।

(स) प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में भविष्य में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-86/2026/649(1)/2026/23-7099/106/2025,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-17/2024/सा0-113/23-1-2024-23-1099/113/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 16 जनवरी, 2024

विषय: लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने विषयक अपने पत्र संख्या-2741सी/यातायात-2/23, दिनांक 04.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के नव निर्माण अनुरक्षण हेतु दोष निवारण अवधि/पुनर्निर्माण (Defect Liability Period) तथा नवीनीकरण चक्र/निर्माण एवं अनुरक्षण तथा अनुरक्षण लागत के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत व्यवस्था की जाती है :-

तालिका-1

नवीनीकरण चक्र		
मार्ग की श्रेणी	पूर्व में नवीनीकरण चक्र	नई व्यवस्था
राज्य मार्ग	04 वर्ष	05 वर्ष
प्रमुख जिला मार्ग/ अन्य जिला मार्ग	05 वर्ष	05 वर्ष
ग्रामीण मार्ग	08 वर्ष	05 वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-2

निर्माण/अनुरक्षण		
मार्ग की श्रेणी	कार्य की प्रकृति	अनुरक्षण अवधि
राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग/शहरी मार्ग/बाईपास/ग्रामीण मार्ग तथा समस्त श्रेणी के कंक्रीट मार्ग।	निर्माण/पुनर्निर्माण/सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	निर्माण के उपरान्त 05 वर्ष का दोष निवारण एवं भुगतान के साथ 05 वर्ष का अनुरक्षण।

तालिका-3

05 वर्ष के अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण लागत			
मार्ग की श्रेणी	नवनिर्माण	पुनर्निर्माण	सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण
राज्य मार्ग प्रमुख जिला मार्ग अन्य जिला मार्ग बाईपास शहरी मार्ग	निर्माण लागत का 2.5 प्रतिशत।	(क) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार होना है, के लिए निर्माण लागत का 2.5 प्रतिशत। (ख)चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार नहीं किया जाना है, के लिए निर्माण लागत का 05 प्रतिशत।	(क) आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित, परन्तु डिजाईन लाईफ पूर्ण न करने वाले मार्गों के लिए 15 प्रतिशत। (ख) जो मार्ग आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित नहीं हैं या डिजाईन लाईफ पूर्ण कर चुके हैं, के लिए 25 प्रतिशत।
ग्रामीण मार्ग	निर्माण लागत का 7.5 प्रतिशत।	(क) आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार डिजाईन लाईफ के लिए पुनर्निर्माण प्रस्तावित होने पर निर्माण लागत का 7.5 प्रतिशत। (ख) आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार डिजाईन लाईफ के लिए पुनर्निर्माण प्रस्तावित न होने पर निर्माण लागत का 10 प्रतिशत।	(क) ऐसे मार्ग जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित हैं, के लिए लागत का 15 प्रतिशत। (ख) ऐसे मार्ग जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित नहीं हैं, के लिए लागत का 25 प्रतिशत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग	इन मार्गों के लिए निर्माण लागत की अधिकतम 2.5 प्रतिशत।

3- ऐसे निविदा दाता (Contractor), जिनके द्वारा खराब गुणवत्ता का मार्ग निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मार्गों के अनुरक्षण हेतु बार-बार कार्यवाही करनी होती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनसे अपेक्षित धनराशि की वसूली की जायेगी।

4- अतः उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के नव निर्माण अनुरक्षण हेतु/पुनर्निर्माण/05 वर्षीय दोष निवारण अवधि (Defect Liability Period) के भुगतान एवं नवीनीकरण चक्र के संबंध में उपर्युक्त तालिका-1, 2 व 3 में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2024/सा0-113(1)/23-1-24-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- गार्डफाईल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।